प्रश्न :- मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए।

रूपरेखा

⇓

प्रस्तावना

⇓

मूल कर्तव्य

⇓

आशय

⇓

संवैधानिक उपबंध

⇓

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

⇓

मूल कर्तव्यों का महत्व

⇓

निष्कर्ष

⇓

संदर्भ ग्रंथ

प्रस्तावना :-

"यदि मैं दास नहीं बनना चाहता तो मुझे एक दास का स्वामी बनने के लिए सहमत नहीं होना चाहिये।" —— अब्राहम लिंकन

अधिकारों तथा कर्तव्यों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे संविधान में अधिकारों का तो उल्लेख था, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। संविधान में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी सम्मिलित करने का विचार हमें समाजवादी विचारधारा से मिला है।

मूल कर्तव्य :-

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। चूँकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं।

विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो हैं लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण :- अमेरिकी संविधान है।

साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है. उदा :- भूतपूर्व सोवियत संघ।

आशय :-

मौलिक कर्तव्य सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, नागरिकों को देश के प्रति कुछ प्रतिष्ठाओं का पालन करना यह हमारा मूल कर्तव्य है।

* संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)

मूल संविधान मे मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व मे गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिये।

इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग -4 के बाद भाग -4 क जोड़ा गया और अनु. 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को सूची का समावेश किया गया।

86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता / संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है।

* नागरिकों के मौलिक कर्तव्य :—

(1) :— संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

(2) :— स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें

(3) :— भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।

(4) :— देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें

(5) भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो।

(6) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको बनाये रखे।

(7) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे। तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

(9) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

(10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।

(11) माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे।

मूल कर्तव्यों का महत्व :-

एक संचेतक के रूप मे नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगो के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है।

नागरिकों मे अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव जाग्रत करते है, राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते है. जो राष्ट्र निर्माण के लिये महत्वपूर्ण माने जाते है।

निष्कर्ष :-

अतः हम कह सकते है कि मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

* राजनीति विज्ञान (राम प्रसाद एण्ड संस) — डॉ. सी. पी. शर्मा
* डॉ. कविता ठक्कर